उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC)

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उत्तराखंड में जल्द ही **समान नागरिक संहिता (UCC)** लागू की जाएगी।

- UCC लागू करने का बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- UCC की परिकल्पना पूरे देश के लिये एक सामान कानून प्रदान करने की है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 44 अनुसार** राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये **एक समान नागरिक संहिता** सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में से एक है।
  - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "**धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य**" के उद्देश्य को मज़बूत करना है।
- गोवा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है।

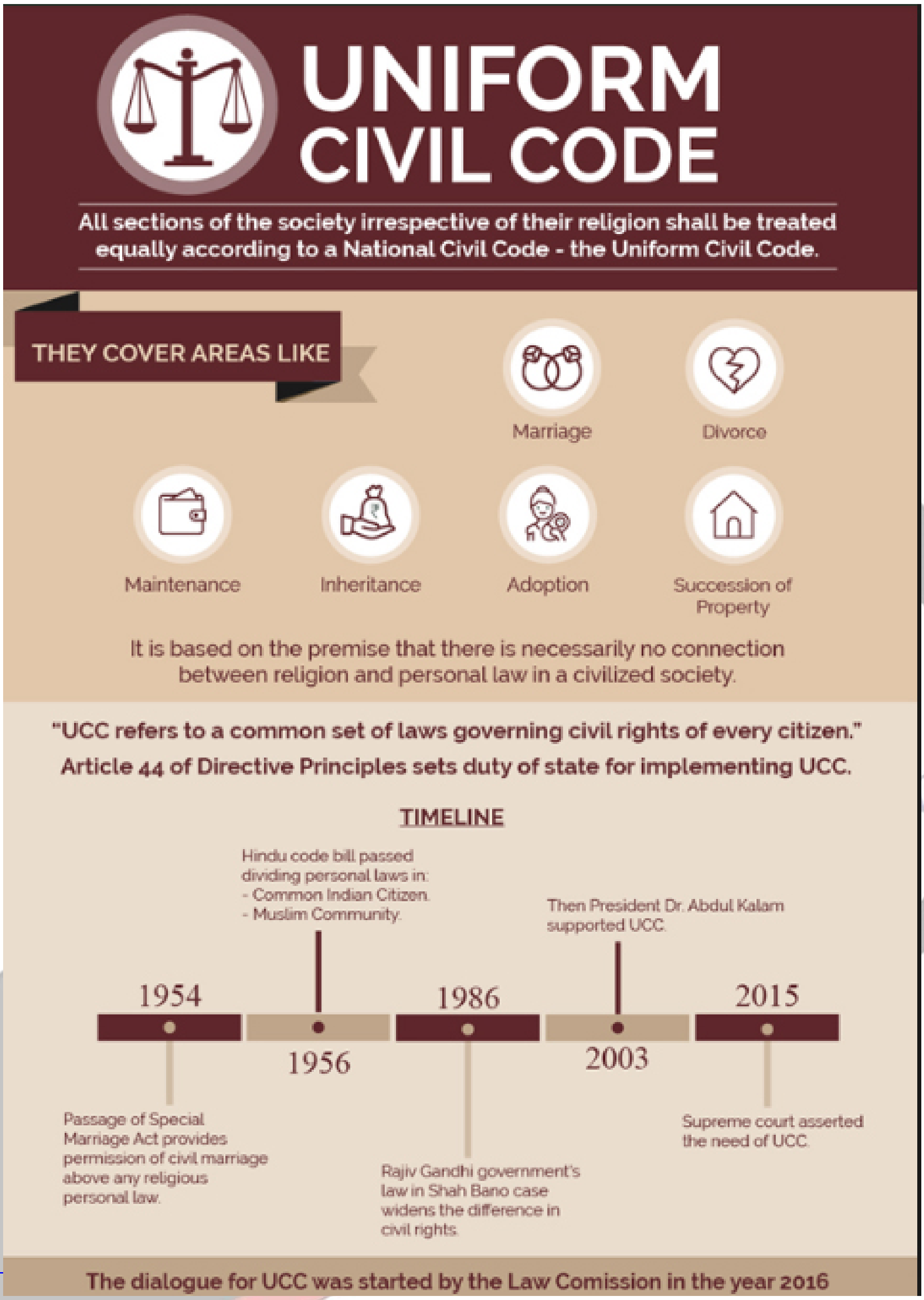

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uniform-civil-code-ucc-in-uttarakhand